यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/18/2018 **दिनांक :** 23.02.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

पंजाब नैशनल बैंक के मामले में एआईबीईए का वित्त मंत्री को संबोधन

एआईबीईए का पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2018/16 दिनांक 21.2.2018 जो वित्त मंत्री को संबोधित है को एआईबीईए के परिपत्र संख्या 28/41/2018/4 दिनांक 22.2.2018 के द्वारा पुर्नप्रसारित किया गया है। हम इस परिपत्र का अनूदित सार इकाईओं एवं सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके मन में पंजाब नैशनल बैंक के हालिया प्रकरण को लेकर तमाम चिन्तायें हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

हम अपनी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना के लिए पीएनबी धोखाधड़ी मामले पर पर वित्त मंत्री को एआईबीईए के पत्र का प्रलेख यहाँ पुर्नप्रसारित कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

एआईबीईए/जीएस/2018/16 **21.2.2018**

श्री अरूण जेटली
माननीय वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली

प्रिय महोदय

पंजाब नैशनल बैंक और इसका 'निमो'निया

हम अत्यन्त दुख एवं पीड़ा के साथ आपको इस पत्र को लिख रहे हैं जो पंजाब नैशनल बैंक, एक अन्य अच्छी तरह से प्रबंधित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, की मुम्बई शाखा में हुई हालिया धोखाधड़ी और दिन–दहाड़े लूट तथा अनाधिकृत एलओयू के माध्यम से कपटपूर्ण लेनदेन में रू0 11,400 करोड़ के अनुमानित परिमाण पर है। यह पीड़ादायक है क्योंकि ऐसी चिन्ताजनक धोखाधड़ी एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हुई है।

जारी पृष्ठ 2

इस धोखाधड़ी के कारण बैंक को संभावित नुकसान के अलावा, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रतिष्ठा और हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में लोगों की धारणा को भी गंभीरता से प्रभावित करेगा।

जब से प्रमुख निजी क्षेत्र बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हमारे देश में बैंकिंग की रूपरेखा को बदलने में एक लंबा सफर तय किया है। उन दिनों की वर्ग बैंकिंग से, यह आज जनसामान्य की बैंकिंग में बदल गई है जहाँ आम लोगों की बड़ी संख्या की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच है। जन धन योजना के अंतर्गत, बैंक और जनसंख्या तक पहुंच गये हैं जो अब तक बैंक खातों द्वारा शामिल नहीं थे। जैसा कि आपने कई मंचों पर उचित रूप से स्वीकार किया है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ही ऐसे खातों को जुटाने में अपनी सराहनीय उपलब्धियों के साथ इस कार्य को गंभीरता से लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न केवल लोगों की मेहनत से अर्जित बचतों को जमा करने के कोष बने हुए हैं, बल्कि उनके विश्वास और भरोसे के भंडार भी हैं। ऐसी घटनायें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हानि पहुंचाने और उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य करेंगी।

ऑल इण्डिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन की ओर से, जो हमारे देश में बैंक कर्मचारियों का सबसे बड़ा और पुराना श्रम संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की प्रभावकारिता और सफलता के लिए अत्यंत प्रतिबद्ध है, हम आपको और आपके माध्यम से बड़े पैमाने पर इस देश के लोगों को स्पष्ट करते हैं, कि हम ऐसी किसी भी धोखाधड़ी का समर्थन नहीं करते हैं जो बैंकों के हितों को नुकसान पहुंचायेंगे, बल्कि हम इस प्रकार के कृत्यों की निंदा करते हैं।

लेकिन, यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है कि सभी समय की कसौटी पर कसे गये नियमों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ, इस तरह के धोखे और चालाकी बैंकों में हो सकती हैं, जो हम मानते हैं मुख्यतः शीर्ष प्रबन्धन स्तर सहित बैंकों के विभिन्न स्तरों पर सभी आवश्यक पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निगरानी की भारी उपेक्षा के कारण है।

हम पाते हैं कि सम्पूर्ण धोखाधड़ी की कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा एक बैंक एक शाखा में की गई धोखाधड़ी के रूप में समझाने के प्रयास हैं, लेकिन यह सच्चाई को पूरी तरह अपमानित करना होगा, क्योंकि इस प्रकृति और परिमाण के लेनदेन केवल एक शाखा परिसर तक सीमित नहीं हो सकते। इस प्रकार के संवेदनशील लेनदेन में जांच, पर्यवेक्षण और नियंत्रण पहलुओं के कई अन्य स्तर शामिल हैं और **जो कुछ हुआ है** इन नियंत्रण पहलुओं की **प्रणालीगत और व्यवस्थित विफलता का एक संयोजन है।**

हम दृढ़ता से मांग करते हैं कि धोखाधड़ी की जिम्मेदारी और जवाबदेही को शाखा में प्रभारी अधिकारियों तक संकुचित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अति आवश्यक और अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षी अधिकारियों और शीर्ष अधिकारियों के उच्चतम स्तर को शामिल करना चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से लोगों की नजरों में बैंकों को ऐसी अत्यधिक बदनामी का सामना करना पड़ा।

हमें यह भी पाते हैं कि प्रबन्धन द्वारा केवल कुछ शाखा स्तर के कर्मचारी को अस्थायी निलंबन के तहत रखा गया है (जो होना चाहिए) लेकिन यह धारणा जाती है कि कोई उच्चाधिकारी इस बुरे प्रकरण का हिस्सा नहीं है।

महोदय, **मामले में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है** यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को भी, तथापि वे उच्च अधिकारी हो सकते है, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वे सभी जिन पर शामिल होने का संदेह है या इस तरह की स्पष्ट लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं जिसमें शीर्ष प्रबंधन शामिल है को उचित रूप से जांच होने तक घटनाक्रम से बाहर रखा चाहिए।

निचले स्तर के कर्मचारियों को बाहर करने ने सभी बैंकों में कार्यबल को हतोत्साहित किया है और उन्हें लगता है कि जब अच्छी चीजें होती हैं तो शीर्ष मालिकों को मालायें पहनाई जाती हैं और जब समस्या होती है, तो निचले स्तर के कर्मचारियों को सभी अनैतिकता का बोझ उठाना पड़ता है। हमें यकीन है कि आप सहमत होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

जारी पृष्ठ 3

आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि बैंकों में एक मजबूत लेखा परीक्षा प्रणाली है जैसे कि बाहरी सनदी लेखाकार द्वारा दैनिक समवर्ती लेखा परीक्षा, आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा परीक्षा, बाह्य लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा, आरबीआई लेखा परीक्षा, दीर्घकालिक लेखा परीक्षा आदि। यदि लेखा परीक्षा बड़े अनुपात के ऐसे कपटपूर्ण लेनदेन का पता लगाने में मदद नहीं कर सकती है तो यह अपना प्रयोजन खो देती है। पहले आरबीआई बहुत सारी जांच के बाद बैंकों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर रहा था। अब, उदारीकरण के युग के तहत, बैंक शीर्ष प्रबंधनों को अपनी पसंद के बाहरी लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने की अनुमति है। इस संबंध में हमारी निरन्तर आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया।

संवेदनशील लेनदेन जैसे नोस्ट्रो खाते का मिलान आदि हमेशा ही बैंकों तथा आरबीआई की प्राथमिकता रडार पर होते हैं। अगर उन्हें अनदेखा कर दिया गया, तो किसके द्वारा और क्यों ? आरबीआई इस प्रकरण में उत्तर देने की अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता।

एक अन्य पहलू है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के कार्य का क्षेत्र। हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर इसके महत्व को घटाया गया है – उदारीकरण युग का एक और प्रभाव। निदेशक मण्डल की शक्तियाँ समितियों के नाम पर कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हैं। नियंत्रण और निगरानी के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नियमित कार्यसूची के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यहां भी एआईबीईए के निरन्तर प्रस्तुतीकरण को नजरअंदाज किया गया।

आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम 1970 तथा 1980 के तहत, बैंकों के प्रबन्धन की योजना में प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निदेशक मण्डल पर कर्मकार निदेशक तथा अधिकारी निदेशक की नियुक्ति शामिल है। 1970/1980 से ही, ये नियुक्तियां की जा रहीं थीं। इन कर्मचारी निदेशकों ने प्रहरी की भूमिका निभाई है। दुर्भाग्य से, मई, 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद, इन पदों के लिए कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है।

परिणाम यह है कि आज सभी 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मकार निदेशकों तथा अधिकारी निदेशकों के पद रिक्त हैं। उदाहरण के लिए कर्मकार निदेशक के पद रिक्त हैं

- अप्रैल, 2014 से यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में
- अक्टूबर, 2014 से केनरा बैंक
- दिसम्बर, 2014 से कॉर्पोरेशन बैंक
- नवम्बर, 2014 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक
- जुलाई 2015 से बैंक ऑफ इण्डिया
- जनवरी, 2016 से ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
- फरवरी, 2016 से यूको बैंक
- मार्च, 2016 से पंजाब नैशनल बैंक
- मई, 2016 से इण्डियन बैंक तथा यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया
- नवम्बर, 2016 से विजया बैंक
- जून, 2016 से बैंक ऑफ महाराष्ट्रा
- जुलाई, 2016 से इलाहाबाद बैंक तथा सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
- अगस्त, 2016 से सिण्डिकेट बैंक
- नवम्बर, 2016 से आन्ध्रा बैंक
- सितम्बर, 2017 से देना बैंक

इन सभी बैंकों में, ऑल इण्डिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन मान्यता प्राप्त और सत्यापित बहुमत संगठन है और योजना के अनुसार हमने नामों का पैनल प्रस्तुत कर दिया है।

जारी पृष्ठ 4

हम नहीं जानते कि क्यों, लेकिन तथ्य यह है कि आज तक, नियुक्तियों को सुनिश्चित नहीं किया गया है।

एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी, इन पदों को रिक्त रखा गया है। इसी प्रकार, इन सभी 20 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, अधिकारी निदेशकों के पद भी रिक्त हैं और सम्बन्धित बैंकों द्वारा सरकार को संस्तुत नामों के पैनल के बावजूद भी भरा नहीं गया है।

व्यक्तिगत और पत्रों की हमारी निरन्तर दलीलों का कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

स्वाभाविक रूप से आश्चर्य है कि क्या सरकार बैंक निदेशक मण्डलों में ऐसे प्रहरियों को नहीं चाहती है यद्यपि कानून के तहत नियुक्ति वैधानिक आवश्यकता है।

एक और मुद्दा जो हमारे लिए गंभीर चिंता की बात है एसोचैम/एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा फिक्की/फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री से बैंकों के निजीकरण के सुझाव हैं, क्योंकि उनके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जारी रखे जाने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हैं।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे का लंबा इतिहास यहां बताये जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमारी अर्थव्यवस्था के स्तम्भ बन गए हैं और वे महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण संस्थान हैं। उन्होंने लोगों के धन के संरक्षक होने के अलावा हमारे देश के आर्थिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान जहाँ विभिन्न देशों में कई निजी बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह गए और वित्तीय क्षेत्र में सुनामी आई, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हमारी अर्थव्यवस्था को उस विनाशकारी संकट से बचाने में मदद की।

बेशक, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को और अधिक सुदृढ़, विस्तारित किया जाना है और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी दक्षता को और सुदृढ़ किया जाना ताकि वे और अधिक वृद्धि और विकास को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रभावी इंजन बन सकें। **पीएनबी–निमो**निया एक गंभीर दुर्घटना है लेकिन किसी भी प्रकार से इसका स्वामित्व से संबंध नहीं है।

कोई भी विगत में विभिन्न घोटालों में निजी बैंकों की भूमिका को नहीं भूल सकता। वास्तव में वे ऐसे घोटालों का केन्द्र थे जिसमें आम लोगों ने अपनी बहुमूल्य बचतों को गंवा दिया। यह हमारे देश में लोगों की स्मृतियों से बाहर नहीं हो सकता कि विगत 4 दशकों में लगभग 40 निजी स्वामित्व वाले बैंक निजी स्वामियों द्वारा कुप्रबंधन के कारण ढह गए हैं और इस पर भी एसोचैम और फिक्की विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंपना चाह रहे हैं।

यह हमारी संसद के रिकॉर्ड में भी है, कि 1949 से 1960 के मध्य निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर विफल होने के कारण, एआईबीईए के तत्कालीन महामंत्री श्री प्रभात कार, जो कि उस समय सांसद भी थे, 1960 में लोक सभा में मामले को उठाया जब श्री टी.टी. कृष्णामचारी तत्कालीन वित्त मंत्री थे। बहस के बाद, संसद ने संशोधन किया और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में एक विशेष खंड (धारा 45) को जोड़ा जिसके द्वारा आरबीआई को परिसमापन का सामना करने वाले ऐसे निजी बैंकों पर अधिस्थगन का आदेश देने के लिए और उन निजी बैंकों के जमाकर्ताओं के धन को बचाने के लिए अन्य बैंकों के साथ उनका विलय करने का आदेश देने के लिए सक्षम बनाया गया। यह निजी बैंकों की कहानी और इतिहास है।

इसके अलावा, आप बैंकों में एनपीए नामक राक्षस से जूझ रहे हैं और सरकार बैंकों में खराब ऋणों में इस चिंताजनक वृद्धि से किसी भी तरह निपटने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। हाल ही में, सरकार चूक करने वाले कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के विरूद्ध दिवालियापन और दिवालियापन कार्रवाई थोपने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने की सीमा तक गई है। आज यह सार्वजनिक जानकारी में है कि दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए एनसीएलटी को भेजे गए सभी चूककर्ता जानी–मानी निजी कॉर्पारेट कम्पनियां हैं।

वे बैंकों से उनके द्वारा लिए गए ऋणों को चुका नहीं सकते और एसोचैम और फिक्की चाहते हैं कि बैंकों को इस निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए जैसे कि वे अधिक सक्षम हैं! यह ऐसे है जैसे कि बर्तन केतली को काला कहे!

जारी पृष्ठ 5

यह भी हमारे देश में रिकार्ड का मामला है कि अब तक सभी प्रमुख बैंक धोखाधड़ी में, निजी कम्पनियों की अहम भूमिका रही है जो ऐसी धोखाधड़ी के लाभार्थियों के रूप में हैं। किंगफिशर एअरलाइंस के विजय माल्या, विंसम डायमण्डस के जतिन मेहता और अब निरव मोदी बस कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं। ऐसी कोई बैंक धोखाधड़ी नहीं हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां शामिल हों।

हमारे देश में निजी क्षेत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे से सभी सुविधायें और लाभ प्राप्त करने के लिए अपने विशाल अधोसंरचना का निर्माण किया है।

यह अनुचित नहीं होगा जब हम माँग करते हैं कि निजी क्षेत्र कम्पनियाँ जिन्होंने बैंक से बड़े ऋण लिये हैं और इसकी चूक करते हैं पहले कुशलतापूर्वक ऋणों को चुकायें और तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुशलता की बात करें। यह कॉर्पोरेट अपराध है जिसने हिमालयी एनपीए के साथ बैंकों पर बोझ लाद दिया है जिसके कारण हमारे सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पीड़ित है और जिसके कारण सरकार बैंकों को पुर्नपूंजीकृत करने के लिए मजबूर है।

महोदय, यहां हम कुछ माह पहले आपसे हमारे प्रतिनिधिमण्डल की बैठक का स्मरण कराना चाहेंगे जब आपने तत्क्षण कहा कि अब तक वर्तमान सरकार के संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है और मुद्दा यह है कि उन्हें कैसे और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमें विश्वास है कि सरकार एसोचैम तथा फिक्की के दावों के साथ तद्नुसार व्यवहार करेगी।

हम यहाँ यह जोड़ना चाहते हैं कि एआईबीईए हमारे देश में एक जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए है और हम इसके लिए किए गए सभी उपायों का समर्थन करेंगे।

आपको लिखे गए इस महत्वपूर्ण पत्र को समाप्त करने से पहले, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में, मीडिया खबरों से भरा पड़ा है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकों को सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को तुरंत स्थानान्तरित करने का निर्देश दिया है, यदि वे 5 वर्ष या 3 वर्ष के लिए एक ही शाखा में बने रहे हैं। यह कुछ भी नया नहीं है और पहले से ही ऐसे दिशानिर्देश हैं जो बैंकों द्वारा नियमित रूप से और समय–समय पर लागू किये जाते हैं।

कुछ मामलों में हमेशा अपवाद होते हैं जैसे शारिरिक रूप से विकलांग कर्मचारी, कुछ बीमारियों वाले कर्मचारी, कर्मचारी जो उपयुक्त स्थान की चाह के लिए अपरिहार्य हैं आदि। यदि ऐसे कोई उदाहरण हों जिन्हें पहले स्थानान्तरित न किया गया हो उन्हें अब किया जा सकता है।

लेकिन केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई 31.12.2017 की कटऑफ तिथि को लेते हुए और बड़े पैमाने पर ऐसे स्थानान्तरण करने से बैंक शाखाओं का कामकाज बड़े पैमाने पर अस्थिर होगा विशेष तौर पर जब बैंकों में कर्मचारी और अधिकारी ऐसे स्मरण पत्रों के अंतर्गत हैं जो कि बैंकों के टर्न अराउंड योजना के अंतर्गत ऋण वसूली कार्यक्रमों आदि में लगे हुए हैं। बैंक प्रबन्धन भी सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिससे कि बैंक 31.03.2018 को बेहतर प्रदर्शन दिखायें।

इस महत्वपूर्ण समय पर, मानव संसाधन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना और शाखाओं से कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना शाखाओं के कामकाज को प्रभावित करेगा और निरूत्साहित लागतों को शामिल करने के अलावा अनुत्पादक होगा।

हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और इस संबंध में बैंकों को उपयुक्त सलाह कार्यान्वित करने के लिए आपके आभारी रहेंगे।

महोदय, हमें विश्वास है कि हमारी प्रस्तुती को आपका विशेष और व्यक्तिगत ध्यान प्राप्त होगा और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र

ह0..

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री